बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

आदेश की क्रम संख्या एवं दिनांक	आदेश (सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 18926/2017 अनिल कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य)	अभ्युक्ति
09.04.2025	1. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 18926/2017 अनिल कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्यमें दिनांक27.01.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्त्ताओं को सुनवाई का मौका प्रदान करते हुये आदेश पारित किया जा रहा है। प्रस्तुत वाद सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 18926/2017 में दिनांक 27.01.2025 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः– "....4. After hearing the learned counsel for the parties, the writ application is disposed of with a direction to the petitioners to file their representation before the Additional Chief Secretary-cum-Principal Secretary, Department of Education, Government of Bihar, Patna for seeking the relief as sought in the instant writ application on or before 10.02.2025, if any representation on behalf of the petitioners is filed on or before 10.02.2025 in that event the Additional Chief Secretary-cumPrincipal Secretary, Department of Education, Government of Bihar, Patna or the authorities competent shall dispose of the representation of the petitioners in accordance with law within a period of two months thereafter." 2. अपीलार्थी का पक्षः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्त्ताओं के मामलें पर विचारण हेतु दिनांक 09.04.2025 को 12.30 बजे अपराह्न में सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुये याचिकाकर्त्ताओं को अपना पक्ष लिखित साक्ष्य के साथ सुनवाई में भाग लेने का निदेश विभागीय पत्रांक 276 दिनांक 25.03.2025 द्वारा दिया गया। सुनवाई की निर्धारित तिथि दिनांक 09.04.2025 को 12.30 बजे अपराह्न में याचिकाकर्त्ता संख्या 05 नवीन कुमार एवं याचिकाकर्त्ता संख्या 06 नरेन्द्र कुमार को छोड़कर सभी याचिकाकर्त्ता यथाः–अनील कुमार सिंह, माधव राय, अशोक कुमार ठाकुर, योगेन्द्र कुंवर एवं गौरी मंडल ने उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए पूर्व में किये गये अनौपचारिक शिक्षा मानदेय पर्यवेक्षक के कार्य को सहायक शिक्षक के साथ सेवा जोड़कर सेवानिवृत्ति के उपरांत पूर्ण पेंशन आदि का लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया गया। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि याचिकाकर्त्ता संख्या 05 एवं 06 को सुनवाई में भाग लेने हेतु नोटिस का तामिला कराने के बावजूद सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। इसके समर्थन में तामिला कराये जाने संबंधी स्क्रीनशॉट साक्ष्य के रुप में संलग्न किया गया।	

याचिकाकर्त्ताओं द्वारा अपने दावें के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 7231/2012 रेखा झा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 04.10.2017 को पारित आदेश तथा एल0पी0ए0 189/2018 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम रेखा झा एवं अन्य में दिनांक 20.06.2018 को पारित आदेश के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली 1950 की कंडिका 103 (घ)का लाभ प्रदान करते हुए पूर्व की सेवा जोड़ने का अनुरोध किया गया है।

3. विवेचना:

उल्लेखनीय है कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 7231/2012 में दिनांक 04.10.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा एल0पी0ए0 संख्या 189/2018 दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा एल0पी0ए0 संख्या 189/2018 को दिनांक 20.06.2018 के पारित आदेश से खारिज कर दिया गया। एल0पी0ए0 संख्या 189/2018 में दिनांक 20.06.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध शिक्षा विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या 4380/2019 दायर किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या 4380/2019 में दिनांक 07.02.2020 को पारित आदेश में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 7231/2012 एवं एल0पी0ए0 संख्या 189/2018 में पारित आदेश को पलटते हुए निम्न आदेश पारित आदेश किया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

".....28. After the aforesaid judgments, Baliram Singh along with others filed CWJC No. 22208 of 2013 to claim back wages for the period from 1st October, 2001 to 3rd July, 2007. The learned Single Bench allowed the writ petition on 22nd August, 2016. Thereafter, LPA No. 2307 of 2016 was dismissed on 15th January, 2018. The said orders were set aside by this Court in Baliram Singh. **Therefore, the reliance of the High Court on an order passed at earlier stage on Baliram Singh no longer holds good.**

In view of the said fact, the present appeal is disposed of in the same terms as in Baliram Singh."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या 7358/2018 में पारित आदेश में याचिकाकर्त्ताओं का छॅटनी अवधि का वेतन भुगतान करने तथा छॅटनी अवधि की गणना पेंशन परियोजनार्थ किये जाने संबंधी अनुरोध को अस्वीकृत/खारिज किया गया है। इस एस0एल0पी0 संख्या 4380/2019 में दिनांक 07.02.2020 को पारित आदेश के आलोक में जन शिक्षा निदेशालय का आदेश ज्ञापांक 985 दिनांक 24.06.2020 निर्गत है। विदित हो कि अनौपचारिक शिक्षा के मानदेय पर्यवेक्षकों का चयन अस्थायी रुप से औपबंधिक के आधार पर सामाजिक सेवा के लिये किया गया था। यह चयन स्थानीय स्तर पर जिला जन शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया गया था। मानदेय पर्यवेक्षकों को पर्यवेक्षण के लिये प्रति केन्द्र 20/– रु0 की दर से अधिकतम 600/– रु0 मासिक का नियत मानदेय भुगतान किया जाता

था। मानदेय की राशि में राज्यकर्मियों के समान वार्षिक वेतन वृद्धि आदि की स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान भी नहीं था। ये पद स्वीकृत नहीं थे तथा इनका चयन पूर्णतः अस्थायी पद पर किया गया था।

4. निष्कर्ष :

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्त्ताओं का चयन अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत मानदेय पर्यवेक्षक के रुप में किया गया था। अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम के समाप्ति के उपरांत सभी कर्मियों के साथ याचिकाकर्त्ताओं को भी कार्य से मुक्त कर दिया गया। याचिकाकर्त्ताओं को विभागीय निदेशानुसार एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर याचिकाकर्त्ताओं को समायोजन सहायक शिक्षक के पद पर विभिन्न विद्यालयों में किया गया।माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 7231/2012 में पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्त्ताओं द्वारा पूर्व की सेवा जोड़ने का दावा प्रस्तुत किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या–7358/2018 में दिनांक 29.10.2018 एवं एस0एल0पी0 संख्या–4380/2019 में दिनांक 07.02.2020 को पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्त्ताओं को पूर्व में अनौपचारिक शिक्षा मानदेय पर्यवेक्षक के रुप में किये गये कार्य को समायोजित सेवा में सेवा जोड़ने संबंधी दावा को एतद् द्वारा अस्वीकृत किया जाता है।यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 18926/2017अनिल कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 27.01.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

ह0/–

(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक –13/न्याय 05–95/2018 391 / दिनांक 05-05-2025

प्रतिलिपिः–जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), भागलपुर/सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 18926/2017 अनिल कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य के सभी याचिकाकर्त्ताओं एवं आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।

E/Ranikumari/letter/all Letter 2024